

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
जलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये भूमि
अधिकारी तहसीलदार जैतारण

पेमीदेवी पत्नी हरदेवराम जाति
राईका सा.देह

मु0न0 :रा. वादपत्र स0: 115/2023

जस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व

जरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया

जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

माली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा-बलपुरा

गटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 108/2 कुल रकबा

0.0809 किस्म बारानी दोयम में से अकृषिक प्रयोग लिए गए 0.00107 हेक्टेयर

रकबे को खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदार के कुल रकबे में से कम किया

जाकर सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया

जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेते हुए मौके पर निर्मित अकृषिक

संरचनाओं को भौतिक रूप से बेदखल करें तथा इस आदेश का भू-अभिलेख में अमल

दरामद करें।

नीजमुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .

.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तकको अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18.11.2024 को जारी

किया गया।

मोहर



(सिहर टंक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।